



छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर
CHHATRAPATI SHAHUJI MAHARAJ UNIVERSITY, KANPUR

परीक्षा समिति की बैठक संख्या 2021/06 दिनांक 30.10.2021

कार्यवृत्त

आज दिनांक 30.10.2021, दिन शनिवार को अपराह्न 03:00 बजे सेंट्रल फॉर एकेडमिक्स भवन स्थित कार्यपरिवर्तक कक्ष में परीक्षा समिति की बैठक सम्पन्न हुई, बैठक में निम्न सदस्य उपस्थित रहे :-

- | | |
|---|---------------------|
| 1. प्रो० विनय कुमार पाठक, कुलपति, सी.एस.जे.एम.वि.वि., कानपुर। | अध्यक्ष |
| 2. प्रो० नन्द लाल, आचार्य, जीवन विज्ञान विभाग, सी.एस.जे.एम.वि.वि., कानपुर। | सदस्य |
| 3. डा०(श्रीमती) शिप्रा वी. श्रीवास्तव, संकायाध्यक्ष, वाणिज्य, क्राइस्ट चर्च कॉलेज, कानपुर। | सदस्या |
| 4. डॉ०(श्रीमती) नन्दिनी उपाध्याय, संकायाध्यक्ष, लॉ, डी.ए-वी, कॉलेज, कानपुर। | सदस्या |
| 5. प्रो० सुधीर कुमार अवस्थी, आचार्य, जीवन विज्ञान विभाग, सी.एस.जे.एम.वि.वि., कानपुर। | सदस्य |
| 6. प्रो० मुकेश रंगा, आचार्य, आई.बी.एम., सी.एस.जे.एम.वि.वि., कानपुर। | सदस्य |
| 7. डा० सिद्धार्थ कुमार मिश्रा, एसोसिएट प्रोफेसर, जीवन विज्ञान विभाग, सी.एस.जे.एम. वि०वि०, कानपुर। | सदस्य |
| 8. डा० महेश प्रसाद यादव, संकायाध्यक्ष, कृषि संकाय, जनता कालेज, बकेवर, इटावा | सदस्य |
| 9. डा० आशा रानी पाण्डेय, संस्कृत विभाग, डी०जो० कालेज, कानपुर | सदस्या |
| 10. डॉ० बी०डी० पाण्डेय, अध्यक्ष, कानपुर यूनिवर्सिटी टीचर्स एसोसिएशन। | सदस्य |
| 11. डॉ० अवधेश सिंह, महामंत्री, कानपुर यूनिवर्सिटी टीचर्स एसोसिएशन। | सदस्य |
| 12. डॉ० अनिल कुमार यादव, कुलसचिव, सी.एस.जे.एम. वि.वि., कानपुर। | कुलसचिव |
| 13. डॉ० अंजनी कुमार मिश्र, परीक्षा नियंत्रक, सी.एस.जे.एम. वि.वि., कानपुर। | पदेन सचिव |
| 14. डॉ० आर.के. द्विवेदी, निदेशक, सी.डी.सी., सी.एस.जे.एम. वि.वि., कानपुर। | विशेषआमंत्रित सदस्य |
| 15. प्रो० सुधान्शु पाण्ड्या, डीन, प्रशासन, सी.एस.जे.एम. वि.वि., कानपुर। | विशेषआमंत्रित सदस्य |
| 16. प्रो० अंशू यादव, डीन, अकादमिक, सी.एस.जे.एम.वि.वि., कानपुर। | विशेषआमंत्रित सदस्य |

सचिव द्वारा सभी उपस्थित सदस्यों का स्वागत करते हुए अध्यक्ष महोदय की अनुमति से परीक्षा समिति की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। सम्यक विचारोपरान्त परीक्षा समिति द्वारा सर्वसम्मति से निम्नांकित निर्णय लिए गये-

मद सं०-2021.06.01

परीक्षा समिति की सम्पन्न हुई बैठक दिनांक 21-09-2021 की कार्यवाही के सम्पुष्टिकरण पर विचार।

निर्णय

परीक्षा समिति की पूर्व में सम्पन्न हुई बैठक दिनांक 21-09-2021 की कार्यवाही का सर्वसम्मति से सम्पुष्टिकरण किया गया।

कार्यवाही-परीक्षा नियंत्रक कार्या०

मद सं०-2021.06.02

छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय द्वारा निर्गत विभिन्न प्रारूपों में निर्गत उपाधि के स्थान पर एक स्टैण्ड प्रारूप को माननीय कुलपति महोदय की अध्यक्षता में समिति द्वारा सर्वसम्मति से संस्तुति प्रदान की गयी थी, के अनुमोदनार्थ परीक्षा समिति के विचारार्थ प्रस्तुत।

निर्णय

छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय द्वारा निर्गत विभिन्न प्रारूपों में निर्गत उपाधि के स्थान पर एक स्टैण्ड प्रारूप, जिसे समिति के समक्ष रखा गया था, में उपाधि प्रदान किये जाने की समिति द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया।

कार्यवाही-परीक्षा नियंत्रक कार्या०

मद सं०-2021.06.03

एम०बी०बी०एस० / बी०ए०एम०एस० / बी०यू०एम०एस० / एम०एस० / एम०डी० / आयुर्वेदिक / बी०एस-सी० नर्सिंग के छात्र जो स्क्रूटिनी / चैलेन्ज के परिणाम के बाद भी असंतुष्ट होते हैं, के शिकायतों के निस्तारण की प्रक्रिया एवं शुल्क निर्धारण के प्रस्ताव पर विचार।

निर्णय

एम०बी०बी०एस० / बी०ए०एम०एस० / बी०यू०एम०एस० / एम०एस० / एम०डी० / आयुर्वेदिक / बी०एस-सी० नर्सिंग के छात्र जो स्क्रूटिनी / चैलेन्ज हेतु आवेदन करते हैं स्क्रूटिनी / चैलेन्ज के परिणाम के बाद काफी मात्रा में परीक्षार्थियों की शिकायतों को त्वरित निस्तारण किये जाने हेतु निम्नवत् प्रक्रिया अपनायी जाने की संस्तुति की गयी।-

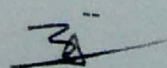
क.समस्त परीक्षार्थियों से परीक्षा फार्म भरते समय ई.-मेल आई.डी ले ली जाये।

ख.परीक्षार्थी की समस्त प्रश्न-पत्रों की मूल्यांकन उत्तर पुस्तिका उसकी ई.मेल आई.डी पर उपलब्ध करा दी जायेगी तथा उत्तर-पुस्तिका प्राप्त होने के 7 दिनों में परीक्षार्थियों द्वारा अपनी यदि कोई आपत्ति हो तो दर्ज कराने की व्यवस्था होगी। उत्तर-पुस्तिका के साथ आपत्ति को मूल परीक्षक को उपलब्ध कराने के बाद इस सम्बन्ध में आख्या प्राप्त की जायेगी, तदनुसार उपयुक्त कार्यवाही परीक्षाफल के सम्बन्ध में की जायेगी। यह समस्त प्रक्रिया 15 दिवसों में पूर्ण की जायेगा, उसके बाद परीक्षार्थी यदि चाहे तो चुनौती मूल्यांकन हेतु आवेदन कर सकता है।

ग.उत्तर-पुस्तिका उपलब्ध कराने का शुल्क परीक्षा-शुल्क के साथ ही ले लिया जायेगा, का समिति द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया।

घ.यह व्यवस्था वर्तमान परीक्षा में निःशुल्क प्रदान की जायेगी, एवं अगले वर्ष से निर्धारित स्क्रूटिनी का शुल्क परीक्षा शुल्क के साथ ले लिया जायेगा।

कार्यवाही-परीक्षा नियंत्रक कार्या०
सूचना-कुलसचिव/ वित्त अधिकारी



मद सं०-2021.06.04

प्रधानाचार्य/अधिष्ठाता, जी०एस०वी०एम० मेडिकल कालेज कानपुर के प्रेषित पत्र द्वारा एम०सी०आई०, नई दिल्ली के नवीनतम मानक (स्नातक चिकित्सा शिक्षा के लिये मूल्यांकन मॉड्यूल-2019) के अनुमोदन पर विचार।

निर्णय

समिति द्वारा एम०सी०आई०, नई दिल्ली के नवीनतम मानक (स्नातक चिकित्सा शिक्षा के लिये मूल्यांकन मॉड्यूल-2019) के अनुमोदन किये जाने का सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया। प्रकरण को आगामी विद्या परिषद की बैठक में भी प्रस्तुत करने का निर्णय लिया गया।

कार्यवाही-परीक्षा नियंत्रक कार्या०
सूचना-कुलसचिव/वित्त अधिकारी

मद सं०-2021.06.05

ऐसे परीक्षार्थी जिनको कोविड-19 महामारी के कारण विश्वविद्यालय की प्रमोशन नियमावली के माध्यम से प्रोन्नत किया गया है, परन्तु प्रमोशन नियमावली के अनुसार प्राप्त अंकों में अनुत्तीर्ण हो रहे हैं, उन्हें न्यूनतम उत्तीर्णांक प्रदान करते हुये उत्तीर्ण किये जाने पर विचार।

निर्णय

समिति द्वारा ऐसे परीक्षार्थी जो सत्र 2019-20 में स्नातक प्रथम वर्ष में कोविड-19 महामारी के कारण विश्वविद्यालय की प्रमोशन नियमावली के माध्यम से प्रोन्नत किया गया था, एवं वर्तमान सत्र 2020-21 में स्नातक द्वितीय वर्ष की परीक्षा दी है, के परीक्षा परिणाम सम्बंधित प्रकरण पर विचारोपरान्त सर्वसम्मति से निम्नवत् निर्णय लिया गया-

- I. ऐसे छात्र/छात्राएं जो स्नातक द्वितीय वर्ष की परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो गये हैं एवं बैंक पेपर हेतु अर्ह नहीं हैं, उन्हें स्नातक द्वितीय वर्ष की परीक्षा भूतपूर्व छात्र के रूप में पुनः देनी होगी, जिसके परीक्षा परिणाम अनुसार प्रथम वर्ष का भी रिजल्ट अपडेट किया जायेगा।
- II. ऐसे छात्र/छात्राएं जो स्नातक द्वितीय वर्ष की परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो गये हैं, परन्तु बैंक पेपर हेतु अर्ह हैं, उन्हें स्नातक द्वितीय वर्ष की बैंकपेपर की परीक्षा देनी होगी, जिसके परीक्षा परिणाम अनुसार प्रथम वर्ष का भी रिजल्ट अपडेट किया जायेगा। ऐसे छात्र/छात्राओं को स्नातक तृतीय वर्ष में औपबन्धिक प्रवेश दे दिया जायेगा, इन छात्र/छात्राओं को द्वितीय वर्ष के परीक्षाफल में उत्तीर्ण होने के पश्चात ही तृतीय वर्ष का परीक्षाफल घोषित किया जायेगा।
- III. ऐसे छात्र/छात्राएं जो स्नातक द्वितीय वर्ष की परीक्षा में उत्तीर्ण हो गये हैं परन्तु स्नातक प्रथम वर्ष में किन्हीं कारणों से अनुत्तीर्ण हैं, उनके द्वितीय वर्ष का परीक्षाफल भी रिकार्ड में आर.डी. लिखते हुए वेबसाइट पर डिस्प्ले किया जायेगा। ऐसे छात्र/छात्राओं को स्नातक तृतीय वर्ष में औपबन्धिक प्रवेश दिया जा सकता है। ऐसे छात्र/छात्राएं स्नातक प्रथम वर्ष की भी परीक्षा देंगे, एवं प्रथम वर्ष के परीक्षाफल में उत्तीर्ण होने के पश्चात ही तृतीय वर्ष का परीक्षाफल घोषित किया जायेगा।

मद सं०-2021.06.06

कार्यवाही-परीक्षा नियंत्रक कार्या० एवं पी.एम.यू.सेल

जनवरी, 2022 में प्रस्तावित NEP-2020 एवं सेमेस्टर परीक्षा के प्रश्नपत्रों के निर्माण कराने की पद्धति पर विचार।

निर्णय

उक्त प्रस्ताव पर विचार किये जाने से पूर्व वापस ले लिया गया।

कार्यवाही-परीक्षा नियंत्रक कार्या०

मद सं०-2021.06.07

कोविड-19 महामारी एवं आगामी दिसम्बर-2021 एवं जनवरी, 2022 में प्रस्तावित सेमेस्टर/NEP-2020 परीक्षाओं के दृष्टिगत परीक्षा समिति की बैठक दिनांक-10.06.2021 के विनिश्चय संख्या-11 में लिये गये निर्णय के क्रम में सत्र 2020-21 हेतु बैक पेपर में शुल्क के साथ आवेदन प्राप्त कर नियमानुसार प्रोन्नत/उत्तीर्ण किये जाने पर विचार।

निर्णय

समिति द्वारा सर्वसम्मति से उपरोक्त प्रस्ताव को निरस्त किये जाने का निर्णय लिया गया।

कार्यवाही-परीक्षा नियंत्रक कार्या०

मद सं०-2021.06.08

सत्र 2019-20 एवं 2020-21 में विश्वविद्यालय द्वारा जारी प्रमोशन नियमावली को ही सत्र 2021-22 में भी लागू करने पर विचार।

निर्णय

परीक्षा समिति की बैठक दिनांक 17.08.2020 के विनिश्चय संख्या-01 एवं निर्गत कार्यालय-ज्ञाप संख्या-सी.एस.जे.एम.वि.वि./COE/443/2020 दि० 26.08.2020, कार्यालय-ज्ञाप संख्या-सी.एस.जे.एम.वि.वि./COE/791/2020 दिनांक: 29.12.2020 एवं कार्यालय-विज्ञप्ति संख्या-सी.एस.जे.एम.वि.वि./COE/1214/2020, दिनांक: 16.06.2021 के अनुसार प्रमोशन नियमावली को ही सत्र 2021-22 में लागू किये जाने का समिति द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया।

कार्यवाही-परीक्षा नियंत्रक कार्या० एवं पी.एम.यू.सेल

मद सं०-2021.06.09

परीक्षा समिति की बैठक दिनांक-13.10.2017 के मद संख्या 05 के अनुसार आगामी मई, 2022 में प्रस्तावित परीक्षा में 58 प्रश्नपत्रों की परीक्षा ओ०एम०आर० पद्धति पर एवं अन्य विषयों की लिखित परीक्षा कराये जाने पर विचार।

निर्णय

परीक्षा समिति की बैठक दिनांक 13.10.2017 के मद संख्या-05 में लिये गये निर्णय के अनुसार (कोविड-19 के पूर्व में सम्पादित मुख्य परीक्षाओं की भाँति) कुछ परीक्षाएं बहुविकल्पीय पद्धति पर ओ.एम.आर. शीट पर एवं शेष परीक्षाएं लिखित उत्तर पुस्तिका पर कराये जाने का समिति द्वारा सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया।

कार्यवाही-परीक्षा नियंत्रक कार्या०

मद सं०-2021.06.10

राज्यपाल सचिवालय के पत्रांक ई-2129/03-जी०एस/2019(टीसी) दिनांक-24 अप्रैल, 2020 के अनुपालन में चुनौती मूल्यांकन के सम्बन्ध में मा० कुलपति जी द्वारा गठित समिति की संस्तुति के अनुमोदन पर विचार।

निर्णय

चुनौती मूल्यांकन के सम्बन्ध में राज्यपाल सचिवालय के पत्रांक ई-2129/03-जी०एस/ 2019(टीसी) दिनांक-24 अप्रैल, 2020 में वर्णित दिशा निर्देशों को लागू किये जाने के सम्बन्ध में दिनांक-10.06.2021 की परीक्षा समिति की बैठक में एक समिति का गठन किया गया, समिति द्वारा सर्वसम्मति से राज्यपाल सचिवालय द्वारा प्रेषित चुनौती

मूल्यांकन (Challenge Evaluation) की व्यवस्था को लागू करने पर अनुमोदन प्रदान किया गया। जो कि निम्नवत है:-

चुनौती मूल्यांकन (Challenge Evaluation) दो चरणों में होगा-

प्रथम-

मूल्यांकित मूल उत्तर पुस्तिका की संचरित प्रति (Scanned copy) देखने की सुविधा।

द्वितीय

मूल्यांकित उत्तर पुस्तिका की संचरित प्रति (Scanned copy) का अवलोकन करने के उपरान्त और मूल्यांकन से असंतुष्ट होने पर चुनौती मूल्यांकन हेतु आवेदन करने की सुविधा।

प्रथम चरण : उत्तर पुस्तिका का अवलोकन के लिए आवेदन एवं शुल्क-

चुनौती मूल्यांकन (Challenge Evaluation) के प्रथम चरण के लिये परीक्षार्थी परीक्षाफल घोषित होने के 30 (तीस) दिन के अन्दर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। सभी पाठ्यक्रमों के परीक्षार्थी को आवेदन शुल्क पूर्व में ₹0 200/- प्रति प्रश्नपत्र था। वित्त समिति से स्वीकृति के पश्चात् ₹0 300/- प्रति प्रश्नपत्र ऑनलाइन जमा करना होगा।

उत्तर पुस्तिकाएँ उपलब्ध करवाने के सम्बन्ध में-

1. आवेदन के उपरान्त परीक्षार्थी को मूल्यांकित मूल उत्तर पुस्तिका की संचरित प्रति (Scanned copy) अवलोकन हेतु ऑनलाइन उपलब्ध करायी जायेगी।
2. परीक्षार्थी, परीक्षक द्वारा मूल्यांकित उत्तर पुस्तिका का अवलोकन करने के उपरान्त और मूल्यांकन से असंतुष्ट होने पर चुनौती मूल्यांकन (Challenge Evaluation) के दूसरे चरण के लिये आवेदन कर सकते हैं।

द्वितीय चरण : चुनौती मूल्यांकन के लिए आवेदन एवं शुल्क

चुनौती मूल्यांकन (Challenge Evaluation) के दूसरे चरण के लिये परीक्षार्थी परीक्षाफल घोषित होने के 45 (पैंतालिस) दिन के अन्दर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। सभी पाठ्यक्रमों के परीक्षार्थी को आवेदन शुल्क पूर्व में ₹0 3,000/- प्रति प्रश्नपत्र था, वित्त समिति से स्वीकृति के पश्चात् ₹0 2,500/- प्रति प्रश्नपत्र ऑनलाइन जमा करना होगा।

चुनौती मूल्यांकन के प्राप्तांक के सम्बन्ध में-

चुनौती मूल्यांकन हेतु प्रस्तुत उत्तर पुस्तिका का मूल्यांकन पूर्व में जिस परीक्षक द्वारा किया गया है उसके अलावा किसी अन्य दो विषय विशेषज्ञ से चुनौती मूल्यांकन कार्य सम्पन्न कराया जायेगा।

1. दोनों विषय विशेषज्ञों/परीक्षकों द्वारा प्रदत्त प्राप्तांकों का औसत निकाला जाए।
2. यह औसत अन्तिम रूप से स्वीकृत होगा और अंक पत्र में देय होगा, चाहे वह मूल प्राप्तांकों से कम हो अथवा अधिक।
3. यदि औसत अंक और मूल प्राप्तांकों में 20% अथवा उससे अधिक का अंतर होता है, तब परीक्षार्थी द्वारा जमा किए गए शुल्क वित्त समिति की स्वीकृति के पश्चात् ₹0 2500/- में से ₹0 1000/- की धनराशि काटकर शेष परीक्षार्थी को वापस कर दी जाए।

चुनौती मूल्यांकन में अनुशासनात्मक कार्यवाही सम्बन्धित प्राविधान

1. चुनौती मूल्यांकन (Challenge Evaluation) में प्राप्त अंक अंकों में मूल अंकों से 20% अथवा उससे अधिक बदलाव होने की स्थिति में प्राथमिकता स्तर पर मूल परीक्षक को नोटिस भेजा जाए।
2. यदि ऐसे परीक्षक 3 (तीन) से अधिक प्रकरण एक ही प्रश्न पत्र में उसी परीक्षा में आते हैं तब उस परीक्षक के सम्बन्धित प्रश्न पत्र के मूल्यांकन का पूरा पारिश्रमिक रोक दिया जाए। यदि ऐसे परीक्षक के 5 (पाँच) से अधिक प्रकरण एक ही प्रश्नपत्र में उसी परीक्षा में आते हैं तब उस परीक्षक को कम से कम दो वर्ष की अवधि हेतु परीक्षा सम्बन्धी कार्यों से विवर्जित (debarred) रखा जाए और यदि 10 से अधिक प्रकरण एक ही प्रश्न पत्र में उसी

- परीक्षा में आते हैं तब उपर्युक्त के साथ-साथ उस परीक्षक की निजी विवरण पुस्तिका में प्रतिकूल टिप्पणी दर्ज करने जाने का समिति द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया।
3. चुनौती शूटआउट के उक्त प्रावधान सत्र- 2021-22 से लागू किये जाने का निर्णय लिया गया।

कार्यवाही-परीक्षा नियंत्रक कार्यालय

मद सं०-2021.06.11

यू०एफ०एम० समिति की संस्तुति के अनुमोदन पर विचार।

निर्णय

यू०एफ०एम० समिति की गठित बैठक दिनांक 28.10.2021 में विश्वविद्यालय की नकल विहीन परीक्षाएं कराये जाने हेतु अनुचित साधन समिति प्रयोग (UFM) की नई नियमावली तैयार कर समिति के समक्ष प्रस्तुत की गयी। परीक्षा समिति ने उक्त नियमावली को समिति द्वारा सर्वसम्मति से अनुमोदन प्रदान किया गया।

कार्यवाही-परीक्षा नियंत्रक कार्यालय

मद सं०-2021.06.12

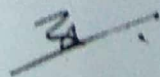
NEP-2020 के अन्तर्गत माह दिसम्बर में प्रस्तावित प्रायोगिक परीक्षा के सम्बन्ध में मा० कुलपति जी द्वारा गठित समिति की संस्तुति के अनुमोदन पर विचार।

निर्णय

दिनांक 21 सितम्बर, 2021 को आयोजित परीक्षा समिति के बैठक के मद संख्या-2021.05.04 में नई शिक्षा नीति (NEP) को कार्यान्वित करने के सन्दर्भ में विश्वविद्यालय द्वारा सत्र-2021-22 की परीक्षा में प्रायोगिक/मौखिकी/लघुशोध/इन्टरनल एसेसमेंट/शोध/निबन्ध/प्रोजेक्ट आदि की प्रक्रिया कराने के सम्बन्ध में गठित समिति द्वारा बैठक में सर्वसम्मति से निम्नलिखित संस्तुति की गई-

- (क) सत्र 2021-22 की प्रस्तावित जनवरी माह में सेमेस्टर परीक्षा के पूर्व माह दिसम्बर, 2021 में प्रायोगिक/मौखिक इत्यादि की परीक्षा कराये जाने की संस्तुति की जाती है।
- (ख) प्रायोगिक/मौखिकी इत्यादि की परीक्षा ऑफ लाइन करायी जाये। कोविड महामारी की स्थिति में शासन के निर्देशानुसार ऑनलाइन या लिखित परीक्षा के आधार पर औसत मार्क्स दिये जाने पर विचार किया जायेगा।
- (ग) आंतरिक एवं बाह्य परीक्षक दोनों तत्सम्बन्धी महाविद्यालय से ही नियुक्त किये जायेंगे तथा प्रायोगिक/मौखिक इत्यादि परीक्षा की वीडियो रिकार्डिंग की जायेगी एवं उसकी सीडी/विश्वविद्यालय में जमा करायी जायेगी।
- (घ) प्रायोगिक/मौखिक/आन्तरिक/प्रोजेक्ट के अंक ऑनलाइन प्रदान किये जायेंगे तथा उसकी हस्ताक्षरित हार्ड कॉपी की स्कैन्ड कापी को भी कालेज लॉगिन पर अपलोड किया जायेगा, जिसके आधार पर परीक्षा परिणाम तैयार कर लिया जायेगा तथा उसकी दो प्रमाणित प्रतियाँ परीक्षा नियंत्रक कार्यालय में रिकार्ड हेतु जमा किया जायेंगे।
- (ङ) प्रायोगिक/मौखिक इत्यादि में अलग-अलग मद में अंक प्रदान किये जायेंगे, जिसके निर्धारण बोर्ड आफ स्टडीज/सम्बन्धित विभाग के कन्वेनर द्वारा परीक्षा के पूर्व कर लिया जाये, का समिति द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया।
- (च) प्रायोगिक/मौखिक/आन्तरिक/प्रोजेक्ट में अधिकतम 80% प्रतिशत अंक प्रदान किये जायेंगे अपवादित दशाओं में ही व्याख्या/कारण का उल्लेख करते हुए 80% प्रतिशत से अधिक प्रदान किये जाने की परीक्षक द्वारा संस्तुति की जायेगी, जिस पर अन्तिम निर्णय मा० कुलपति महोदय का होगा।

कार्यवाही-परीक्षा नियंत्रक कार्यालय



मद सं०-2021.06.13

कोविड-19 महामारी के समय अन्य गम्भीर बीमारियों से ग्रसित परीक्षार्थियों को प्रोन्नत/उत्तीर्ण किये जाने पर विचार।

निर्णय

समिति द्वारा उपरोक्त प्रस्ताव को सर्वसम्मति से निरस्त किये जाने का निर्णय लिया गया।

कार्यवाही-परीक्षा नियंत्रक कार्या०

मद सं०-2021.06.14

बी०फार्मा० की छात्रा निमिषा त्रिपाठी को इंटरनल सेशनल एवं एक्सटर्नल एग्जामिनेशन में अनुमति के सम्बन्ध में विचार।

निर्णय

उपरोक्त प्रस्ताव को परीक्षा समिति ने सर्वसम्मति से निरस्त किये जाने का निर्णय लिया गया।

कार्यवाही-परीक्षा नियंत्रक कार्या०

अन्य विषय अध्यक्ष महोदय की अनुमति से:-

मद सं०-2021.06.01

शासन के पत्र संख्या रा०पा०-100/सत्तर-1-2021, उच्च शिक्षा अनुभाग-1 लखनऊ, दिनांक 18.10.2021 द्वारा राज्य विश्वविद्यालयों में लंबित पड़ी पुरानी डिग्रियों तथा भविष्य में आयोजित दीक्षान्त समारोह के उपरान्त डिग्रियों के वितरण के सम्बन्ध में कार्यवाही किये जाने के प्रस्ताव पर विचार।

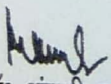
निर्णय

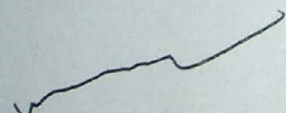
राज्यपाल सचिवालय उत्तर प्रदेश लखनऊ के कार्यालय ज्ञाप संख्या-ई-6591/जी०एस० दिनांक: 29 सितम्बर, 2021 के संदर्भ में जिसमें उपाधियों के वितरण के सम्बन्ध में निम्नवत् निर्णय लिये गये हैं:-

- क. शैक्षणिक सत्र 2019-20 एवं उसके पूर्व के विगत वर्षों की लम्बित डिग्रियों को छात्रों को वितरित कराने के बारे में उपाधि शुल्क लेने की बाध्यता समाप्त कर सभी डिग्रियाँ केवल डाक शुल्क रु० 200/- प्रति डिग्री प्राप्त कर वितरित किये जाने का सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया है।
- ख. वर्तमान में सम्पन्न हुई सत्र 2020-21 की मुख्य परीक्षा के छात्र/छात्राओं को उपाधि प्रेषित किये जाने हेतु उपाधि शुल्क प्राप्त कर प्रेषित किये जाने का सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया है।
- ग. भविष्य में सभी छात्रों से देय उपाधि शुल्क शिक्षा सत्र के अन्तिम वर्ष/अन्तिम सेमेस्टर की फीस के साथ शुल्क जमा कराये जाने का सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया है।

कार्यवाही-परीक्षा नियंत्रक कार्या०

अन्त में मा० कुलपति जी द्वारा सदस्यों को धन्यवाद ज्ञापित करते हुए बैठक सम्पन्न हुई।


(डॉ० अंजनी कुमार मिश्र)
परीक्षा नियंत्रक/सचिव, परीक्षा समिति


(प्रो० विनय कुमार पाठक)
कुलपति/अध्यक्ष